

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2019—फाल्गुन 17, शक 1940

खेल एवं युवा कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

राज्य सरकार, खेल संस्थाओं एवं खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, खेल वृत्ति, सम्मान निधि नियम, 2006 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 287, दिनांक 24 जून 2009, में प्रकाशित हुए थे और इस विभाग के आदेश क्र. एफ 2-8/2011/नो, दिनांक 10.05.2012 अतिष्ठित करते हुए, एतद्वारा, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

### नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार :-
  - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन नियम, 2019' है।
  - (2) जब तक कि पृथक से उल्लेखित न हो यह नियम सामान्य एवं दिव्यांग खिलाड़ियों पर समान रूप से लागू होंगे।
  - (3) ये नियम राजपत्र में इनमें प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य - इन नियमों का उद्देश्य मध्यप्रदेश के राज्य स्तरीय खेल संघों को प्रतियोगिता आयोजन करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
3. परिभाषाएँ - इन नियमों में जबतक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (क) "प्राधिकृत खेल संघ" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश में पंजीकृत उस खेल संघ से है, जो रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसायटी, मध्यप्रदेश के अंतर्गत पंजीकृत हो तथा खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश से मान्यता प्राप्त हो ;
- (ख) "प्रशिक्षक" से अभिप्रेत है वो खेल प्रशिक्षक जो मध्यप्रदेश राज्य खेल अकादमी में योग्यताधारी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हों अथवा मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों/टीमों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हों;
- (ग) "समिति" से अभिप्रेत है, संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा गठित समिति;
- (घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश ;
- (ङ) "दिव्यांग" से अभिप्रेत है, प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगता के लिए परिभाषित मापदण्ड ;
- (च) "दिव्यांग प्रतियोगिता" से अभिप्रेत है, पैरालम्पिक खेल, स्पेशल ओलम्पिक भारत, डीफ गेम्स, दृष्टिबाधित हेतु अधिकृत प्रतियोगिता ;
- (छ) "मूल निवासी" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारक (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में, आवेदक को कम से कम दस वर्ष से मध्यप्रदेश में निवासरत होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा) ;
- (ज) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार ;
- (झ) "राष्ट्रीय खेल महासंघ" से अभिप्रेत है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ ;
- (ञ) "अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप" से अभिप्रेत है विभिन्न देशों के द्वारा आयोजित होने वाली विश्वकप, एशियन गेम्स, राष्ट्र मण्डल खेल, साऊथ एशियन गेम्स एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच एवं दिव्यांगों की इस स्तर की होने वाली चैम्पियनशिप ;
- (ट) "अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित की जाने वाली कैडेट / सबजूनियर, यूथ / जूनियर एवं अण्डर-21 / अण्डर-23 / सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है ;
- (ठ) "अधिकृत/मान्यता प्राप्त खेल" से अभिप्रेत है, वर्तमान एवं भविष्य में ओलम्पिक / एशियन / राष्ट्रमण्डल / राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित जाने वाले खेल। उक्त के अतिरिक्त बिलियर्ड एवं स्नूकर, क्रिकेट, शतरंज एवं मल्लखम्ब खेल भी इसमें सम्मिलित रहेंगे ;
- (ड) "अधिकृत राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप" से अभिप्रेत है, संबंधित राज्य खेल संघ द्वारा विभिन्न आयु समूह के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग में आयोजित राज्य स्तरीय कैडेट / सबजूनियर, यूथ / जूनियर एवं अण्डर-21 / अण्डर-23 / सीनियर चैम्पियनशिप, जिसका आयोजन वर्ष में एक बार किया जाता हो ;

- (ढ) "विगत वर्ष" से अभिप्रेत है, आवेदन वाले वर्ष का पिछला वितीय वर्ष ;
- (ण) "अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता" से अभिप्रेत है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कैडेट / सबजूनियर, यूथ / जूनियर एवं अण्डर-21 / अण्डर-23 / सीनियर प्रतियोगिताएं ;
- (त) "सीनियर वर्ग" से अभिप्रेत है, अण्डर-21 / अण्डर-23 / सीनियर चैम्पियनशिप ;
- (थ) "खेल अकादमी" से अभिप्रेत है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश के अधीन अधिकृत संचालित खेल अकादमी / प्रशिक्षण केन्द्र / खेल छात्रावास ;
- (द) "खेल संघ" से अभिप्रेत है, राज्य स्तर पर सम्यक रूप से गठित मान्यता प्राप्त स्तरीय खेल संघ ;
- (ध) "खिलाड़ी" से अभिप्रेत है, सामान्य / दिव्यांग खिलाड़ी.

4. खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन राशि —

(1) अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को प्रोत्साहन -

(क) पात्रता -

(एक) खिलाड़ी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो अथवा खेल अकादमी में प्रशिक्षण अवधि प्राप्त कर रहा हो।

(दो) मान्यता प्राप्त खेलों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।

(ख) आवेदन की प्रक्रिया - खिलाड़ी / प्रशिक्षक अपना आवेदन संचालनालय द्वारा विहित प्रपत्र में जिला कार्यालय अथवा संचालनालय में सीधे प्रस्तुत कर सकेंगे।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने अथवा सहभागिता के लिए खिलाड़ी प्रोत्साहन राशि-

(क) सीनियर वर्ग में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को निम्नानुसार राशि से पुरस्कृत किया जाएगा :-

(राशि लाखों में)

अनु.	प्रतियोगिता का नाम	पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि			प्रतिभागिता (कोई पदक नहीं)
		स्वर्ण	रजत	कांस्य	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	• प्रत्येक 4वर्ष में आयोजित ओलम्पिक खेल / विश्वकप / विश्व चैम्पियनशिप	200.00	100.00	50.00	10.00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• टेनिस की विम्बल्डन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यू.एस. ओपन, फ्रेंच ओपन</li> <li>• शतरंज ओलम्पियाड</li> </ul>				
2.	एशियन गेम्स	100.00	50.00	25.00	5.00
3.	राष्ट्रमण्डल खेल / एशियन इण्डोर गेम्स	40.00	25.00	15.00	1.00
4.	दक्षिण एशियाई खेल	3.00	2.00	1.50	0.50
5.	राष्ट्रमण्डल/एशियन/अन्य अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	3.00	2.00	1.00	0.50

> पैरा, डीफ, दृष्टिबाधित एवं स्पेशल ओलम्पिक के खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने वाली अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिभागिता करने वाले सामान्य खिलाड़ियों को देय प्रोत्साहन एवं प्रतिभागिता राशि के अनुसार खिलाड़ी भी पात्रता होंगे।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूथ/जूनियर वर्ग एवं कैंडेट/सबजूनियर वर्ग के लिए प्रोत्साहन एवं प्रतिभागिता में राशि निम्नानुसार देय होगी -

(एक) यूथ/जूनियर वर्ग के लिए- उपरोक्त नियम 4 के उपनियम (2) के खण्ड (क) में यथा प्रस्तवित सीनियर वर्ग का 1/2.

(दो) कैंडेट/सबजूनियर वर्ग के लिए-उपरोक्त नियम 4 के उपनियम (2) के खण्ड (क) में सीनियर वर्ग का 1/4.

(ग) अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रशिक्षकों की प्रतिभागिता हेतु सहायता- अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में मध्यप्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी एवं खेल अकादमी/प्रशिक्षण केन्द्र/छात्रावास में नामांकित खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता करने पर उनके प्रशिक्षकों को भी खिलाड़ियों की सहायतार्थ भेजा

जा सकेगा। प्रशिक्षकों पर होने वाला व्यय, रु. 5.00 लाख की सीमा तक देय होगा।

(घ) दिव्यांग वर्ग में आयोजित होने वाली अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में दिव्यांग खिलाड़ियों / प्रशिक्षकों को सामान्य खिलाड़ियों / प्रशिक्षकों को देय राशि के समान पात्रता होगी।

(3) राष्ट्रीय खेल एवं राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि -

(क) राष्ट्रीय खेल - राष्ट्रीय खेल में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतने करने वाले खिलाड़ियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि देय होगी -

स्वर्ण पदक: रु. 5,00,000/- (राशि रु. पाँच लाख मात्र)

रजत पदक: रु. 3,20,000/- (राशि रु. तीन लाख बीस हजार मात्र)

कांस्य पदक: रु. 2,40,000/- (राशि रु. दो लाख चालीस हजार मात्र)

(ख) अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप - मध्यप्रदेश के मूल निवासी अथवा खेल अकादमियों में प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों को अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक जीतने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि देय होगी-

स्वर्ण पदक रु. 1,00,000/- (राशि रु. एक लाख मात्र)

रजत पदक रु. 75,000/- (राशि रु. पचहत्तर हजार मात्र)

कांस्य पदक रु. 50,000/- (राशि रु. पचास हजार मात्र)

(ग) टीम इवेंट में वह इवेंट नहीं माने जावेंगे जिनमें अलग से टीम प्रतियोगिताएं नहीं होती हैं और मात्र टीम के सदस्यों के व्यक्तिगत स्कोर को जोड़कर टीम के स्कोर की गणना कर ली जाती है।

5. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उपकरण क्रय करने एवं किराये पर लेना-

(1) मध्यप्रदेश के ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों अथवा खेल अकादमी के खिलाड़ी जिन्होंने अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप अथवा राष्ट्रीय खेलों में पदक अर्जित किया हो

अथवा अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में नवीन राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो, उन्हें अपने खेल कौशल में निखार लाने के लिये खेल उपकरण जो कि खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिये आवश्यक है, क्रय करने हेतु खेल जीवन में एक बार रुपये 5.00 लाख की सीमा तक वास्तविक व्यय की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। उपकरण क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान की जावेगी, जिनके भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिप में पदक अर्जित करने की सम्भावना हो। यह स्वविवेक आधारित होने से प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।

- (2) जिन खेलों में इवेंट के दौरान उपकरण किराए पर लेना अथवा क्रय करना आवश्यक होता है, (जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, घुड़सवारी एवं शूटिंग), उपरोक्त के अतिरिक्त प्रति खिलाड़ी रु. 2.00 लाख की सीमा तक का वास्तविक व्यय के मान से उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस संबंध में, संचालक की स्वीकृति के उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।

#### 6. खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण -

##### (1) पात्रता -

- (क) खिलाड़ी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो अथवा खेल अकादमी में विगत 02 वर्षों से प्रशिक्षणरत हो।
- (ख) विदेश में प्रशिक्षण / विदेशी प्रशिक्षक की सेवायें ऐसे खिलाड़ी / टीम को प्रशिक्षित करने के लिये ली जा सकेगी, जिसने अधिकृत राष्ट्रीय सीनियर / जूनियर चैम्पियनशिप अथवा अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में देश के लिये पदक अर्जित किया हो।
- (ग) सामान्य परिस्थितियों में विदेशी प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता किसी भी खिलाड़ी को अधिकतम 03 बार उपलब्ध कराई जा सकेगी। यदि खिलाड़ी ने एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप में कोई पदक अर्जित किया हो अथवा ओलम्पिक प्री-क्वालिफाई किया हो अथवा अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का राष्ट्रीय रिकार्डधारी हो और उसे ओलम्पिक / एशियन गेम्स के लिए अर्हता

प्राप्त करने की संभावना है तो 3 बार के पश्चात् भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(2) प्रोत्साहन राशि-

- (क) विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये, खिलाड़ी जो उपरोक्त उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अनुसार प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं, द्वारा प्रस्तुत प्राक्लन के आधार पर रु.10.00 लाख तक की राशि, जिसमें खिलाड़ी का आना-जाना, भोजन, आवास, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा व्यय सम्मिलित होगा, उपलब्ध कराई जावेगी। यह स्वविवेक आधारित होने से, प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।
- (ख) यह सहायता ऐसे खिलाड़ियों को दी जाएगी, जिनके भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिप में पदक अर्जित करने की सम्भावना हो। सहायता राशि के संबंध में संचालक स्तरीय समिति निर्णय ले सकेगी।
- (ग) विदेशी प्रशिक्षक से देश में प्रशिक्षण -प्रत्येक खिलाड़ी को, जो नियम 6(1) (ख) के अनुसार पात्र है, उन्हें देश में विदेशी प्रशिक्षक से प्रशिक्षण लेने हेतु रुपये 10.00 लाख तक की राशि दी जा सकेगी। यह स्वविवेक आधारित होने से प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।
- (घ) राष्ट्रीय प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता (देश के अंदर) - देश में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, ऐसे खिलाड़ी जो नियम 6 (1) (ख) के अनुसार पात्र है उनके द्वारा प्रशिक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए प्राक्लन के आधार पर रु. 1.00 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें खिलाड़ी का आना-जाना, भोजन, आवास, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा व्यय सम्मिलित होगा। खिलाड़ी को इस प्रयोजन हेतु यात्रा के पूर्व संचालक से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगी।
- (3) अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण हेतु खिलाड़ी की सहायतार्थ प्रशिक्षक को भेजने पर आर्थिक सहायता-

यदि उपरोक्त उपनियम (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन खेल अकादमी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है तो इस प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिये, उस खेल के लिए संबंधित खेल प्रशिक्षक को भी विभाग के व्यय पर भेजा जा

सकेगा। प्रशिक्षक को यह सहायता स्वविवेक आधारित होने से प्रशासकीय स्वीकृति के उपरांत दी जा सकेगी। किन्तु व्यय की सीमा खिलाड़ियों के समान रहेगी।

**7. प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन -**

खिलाड़ियों द्वारा अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप तथा राष्ट्रीय खेल में पदक प्राप्त करने पर खिलाड़ियों को देय राशि के 10 प्रतिशत की राशि दी जावेगी। एक से अधिक प्रशिक्षक होने की स्थिति में प्रशिक्षकों के मध्य राशिका वितरण बराबरी से किया जावेगा। खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में प्रशिक्षक के नाम का उल्लेख किया जावेगा।

**8. अधिकृत राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलवृत्ति -**

**(1) पात्रता -**

- (क) विचारार्थ वर्ष में दिनांक 01 अप्रैल की स्थिति में खिलाड़ी की 19 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
- (ख) खिलाड़ी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- (ग) खेल वृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए पूर्व के तृतीय वर्ष में खिलाड़ी द्वारा अधिकृत राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त किया हो।
- (घ) खेल अकादमी/प्रशिक्षण केन्द्र/खेल छात्रावास में निवासरत् खिलाड़ियों को खेल वृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) या अन्य किसी स्रोत से खेलवृत्ति प्राप्त कर रहे खिलाड़ी को खेलवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
- (च) खेलवृत्ति की स्वीकृति जिला स्तर पर की जावेगी। खेलवृत्ति हेतु खिलाड़ियों को, संचालनालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, संबंधित जिला कार्यालय में प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई तक अपने आवेदन को अनिवार्यतः जमा करना होगा। दिव्यांग वर्ग की अधिकृत राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी को भी खेलवृत्ति की पात्रता होगी।
- (छ) खेल संघों द्वारा आयोजित मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक अर्जित करने वाले पात्र खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष क्रमशः राशि रु. 10,000/-, रु. 8,000/- एवं रु. 6,000/- के मान से खेलवृत्ति



प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार समान प्रतियोगिता में पात्रता वाले खिलाड़ियों को वरीयता स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक अनुसार दी जावेगी। उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में समान पात्रता रखने वाले खिलाड़ियों में वरीयता अधिक आयु वाले खिलाड़ी को दी जाएगी। एक खिलाड़ी द्वारा एक से अधिक प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने की स्थिति में भी एक ही खेलवृत्ति दी जाएगी। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में खेल वृत्ति हेतु स्वर्ण पदक हेतु 8 टीम, रजत हेतु 12 टीम एवं कांस्य पदक हेतु 16 टीम की भागीदारी होना अनिवार्य है। इससे कम टीम होने पर खेलवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। वाटर-स्पोर्ट्स, घुड़सवारी एवं शूटिंग जैसे खेलों जिनकी कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना सीमित है, पर यह नियम लागू नहीं होगा। उपरोक्त के लिए खेल संचालनालय, खिलाड़ियों के प्रदर्शन और बजट की उपलब्धता के आधार पर छानबीन समिति का गठन करेगा। संचालक, छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्णय लेगा।

9. प्रदेश के युवाओं को माउण्ट एवरेस्ट शिखर पर आरोहण हेतु प्रोत्साहन

(1) निबंधन एवं शर्तें -

- (क) आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।
- (ख) आवेदक को पुलिस सत्यापन व चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ग) माउण्ट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के उपरांत अधिकृत संस्था द्वारा शिखर की चोटी पर सफलतापूर्वक आरोहण पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (घ) आवेदक द्वारा आवेदन के साथ नेपाल अथवा चाइना सरकार की अधिकृत एडवेंचर एजेन्सी से माउण्ट एवरेस्ट पर आरोहण पर होने वाले वास्तविक व्यय के मूल देयक एवं आरोहण के फोटोग्राफ्स (जिसमें चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ङ) माउण्ट एवरेस्ट पर आरोहण हेतु प्रतिवर्ष अधिकतम 02 आवेदकों (महिला/पुरुष) को ही अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। 02 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में संचालक स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

- (2) **आवेदन की प्रक्रिया** -आवेदक द्वारा आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संचालक, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत करना होगा।
  - (3) **अनुदान राशि** -आवेदक को माउण्ट एवरेस्ट शिखर पर आरोहण हेतु उपगत हुए वास्तविक व्यय, के लिए रु. 15.00 लाख की सीमा तक अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा। माउण्ट एवरेस्ट शिखर पर आरोहण की सहमति हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार को पंजीयन फीस अथवा संबंधित विदेशी (चीन/नेपाल) सरकार को रायल्टी फीस रुपये 8.00 लाख अग्रिम में दी जाएगी। 15.00 लाख रुपए की राशि में से। यह अग्रिम नियम 9(1) (घ) के अनुसार आरोहण के वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करने के पश्चात् समायोजित किया जाएगा।
  - (4) **आवेदन परीक्षण समिति** -योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संचालक को प्राप्त आवेदनों के परीक्षण हेतु संचालनालय स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति की अनुशंसा के आधार पर संचालक खेल द्वारा देय प्रोत्साहन राशि पर निर्णय लिया जाएगा।
  - (5) अन्य साहसिक खेल जैसे कि इंग्लिश चैनल पार करना तथा देश एवं विदेश में स्थित अन्य शिखर चोटियों पर आरोहण हेतु आर्थिक सहायता के प्रयोजन लिये प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि की सीमा व बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रशासकीय विभाग निर्णय ले सकेगा।
10. **प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए आर्थिक सहायता —**
- (1) **प्रतियोगिता आयोजन-**
    - (क) प्राधिकृत खेल संघ द्वारा आयोजित चैम्पियनशिप।
    - (ख) फर्म्स एवं सोसायटी मध्य प्रदेश से पंजीकृत संस्था द्वारा अखिल भारतीय/राज्य स्तरीय परम्परागत प्रतियोगिता, जिनका निरन्तर विगत 03 वर्षों से आयोजन किया जा रहा हो।

(2) आर्थिक सहायता निम्नानुसार स्वीकृत की जाएंगी -

प्रतियोगिता	अधिकतम राशि
1. वर्ल्ड चैम्पियनशिप - (अधिकृत वर्ल्ड चैम्पियनशिप में प्रत्येक महादीप की न्यूनतम 01 टीम एवं अलग-अलग देशों की न्यूनतम 10 टीमों की प्रतिभागिता होना अनिवार्य)	50.00 लाख
2. अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप - (अधिकृत चैम्पियनशिप में न्यूनतम 10 देशों की टीमों ने प्रतिभागिता की हो)	25.00 लाख
3. अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप - (अधिकृत चैम्पियनशिप में न्यूनतम 12 प्रदेशों की टीमों ने प्रतिभागिता की हो)	10.00 लाख
4- क्षेत्रीय/जोनल चैम्पियनशिप - (अधिकृत चैम्पियनशिप में कम से कम 05 राज्यों की टीमों ने प्रतिभागिता की हो)	5.00 लाख
5- अधिकृत राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप - (अधिकृत चैम्पियनशिप में न्यूनतम 15 जिलों/05 संभागों की टीमों ने प्रतिभागिता की हो)	2.00 लाख
6- जिला स्तरीय चैम्पियनशिप - (अधिकृत चैम्पियनशिप में कम से कम 06 अथवा अधिक टीम ने सहभागिता की हो)	0.50 लाख
7- अखिल भारतीय प्रतियोगिता -(न्यूनतम 06 विभिन्न राज्यों की टीम हो)	4.00 लाख
8- राज्य स्तरीय परम्परागत प्रतियोगिता - (विभिन्न संभाग की 06 अथवा विभिन्न जिलों की 12 टीमों की सहभागिता अनिवार्य होगी)	2.00 लाख

**टिप्पणी -**

- प्रतियोगिता आयोजन हेतु नियमानुसार प्रदाय की जाने वाली राशि संचालक द्वारा स्वीकृत की जावेगी।
- प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की भागीदारी प्रतियोगिता के स्तर के आधार पर उपरोक्त राशि स्वीकृत की जावेगी। खिलाड़ियों की भागीदारी में कमी होने पर राशि में भी कमी की जावेगी। वाटर स्पोर्ट्स, घुड़सवारी एवं शूटिंग जिनकी प्रदेश में खेल अधोसंरचना सीमित है, पर यह नियम लागू नहीं होगा,

(3) बुक ऑफ़ फाइनेंशियल पावर के अनुसार संचालक (खेल) संचालनालय, खेल और युवा कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के आयोजन पर संबंधित मद से 1 करोड तक व्यय कर सकेंगे।

11. अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लेने वाले प्रदेश के दल को दी जाने वाली सुविधाएँ,-

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने वाली टीम के सदस्यों को निम्नलिखित सुविधाओं की पात्रता होगी;

- (1) ट्रेकसूट
- (2) प्रशिक्षण स्थल से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल तक की निकटतम दूरी का सिर्फ यात्रा किराया रियायती दरों पर (मूल किराए का 1/4) भुगतान किया जावेगा। यात्रा करने के पश्चात् टिकट एवं यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा। अधिकतम पात्रता तृतीय श्रेणी वातानुकूलित की रहेगी। अन्य कोई भत्ता प्रदान नहीं किया जावेगा।
- (3) न्यूनतम दूरी के मार्ग में रेल मार्ग न होने की स्थिति में खिलाड़ियों को वास्तविक बस किराये की राशि की पात्रता होगी।
- (4) राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कैडेट / सबजूनियर, युवा / जूनियर एवं अण्डर-21 / अण्डर-23/ सीनियर वर्ग में प्रदेश के दल को सम्मिलित कराने के लिये प्रदेश के

दल / खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन करने के लिये खिलाड़ियों को संचालनालय द्वारा भोजन, आवास एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।

- (5) उपरोक्त आर्थिक सहायता दिव्यांग वर्ग की प्रतियोगिताओं हेतु भी प्रदान की जा सकेंगी।

**12. खिलाड़ियों को प्रतिमाह सम्मान निधि-**

- (1) पात्रता - खिलाड़ी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता (ओलम्पिक/पैरा ओलम्पिक/एशियन गेम्स) में पदक प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया हो। खिलाड़ी की न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो।
- (2) आवेदन की प्रक्रिया- आवेदक को सम्मान निधि प्राप्त करने हेतु संचालनालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संचालक, खेल और युवा कल्याण, म.प्र को प्रस्तुत करना होगा।
- (3) भारत सरकार की "उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन योजना" के प्रावधानों के अनुरूप पदक विजेता खिलाड़ियों को निम्नानुसार मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है-

क्र	खिलाड़ियों की श्रेणी	सम्मान निधि प्रतिमाह
1	ओलम्पिक गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी	15000
2	एशियन गेम्स (एशियाड) में पदक विजेता खिलाड़ी	12000
3	पैरा ओलम्पिक गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी	10000

13. निरसन- इस नियम के प्रभावशील होते ही पूर्व से प्रचलित समस्त संबंधित नियम और विज्ञप्तियाँ निरसित हो जाएंगी।